बिहार सरकार
परिवहन विभाग
पत्र संख्या–06 / निबंधन–61 / 2016 परि0................../

प्रेषक,

बलराम प्रसाद,
उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार।
सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार।

पटना, दिनांक ....

विषयः– **M/S- Nanya Airconn Pvt.Ltd. के उत्पाद मॉडल का निबंधन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक M/s- **Nanya Airconn Pvt.Ltd.** के द्वारा प्रस्तुत उनके **उत्पाद** मॉडल के संबंध में केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 126 के तहत प्राधिकृत जाँच एजेन्सी **ICAT,** Haryana द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति **एवं** अन्य कागजात के आधार पर निम्न उत्पाद **मॉडल** का बिहार राज्य में विक्रय के प्रयोजनार्थ निबंधन की **स्वीकृति** प्रदान की जाती है :–

Sl. No.	Base Model	Type Approval Certificate No/Date	Types of Vehicle	EX -Showroom Price
1	**SAWAARI TREND**	CALB 0044 /10-03-2016	E Rickshaw	Rs. **1,40,000/-**

1. निबंधन के पूर्व केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली–1989 के नियम–126 एवं 127 के अन्तर्गत प्रपत्र–22 में **प्रमाण** पत्र प्राप्त करना होगा तथा नियमावली के नियम--93 के **प्रावधानों** को कड़ाई से पालन करना होगा। एतद **नियमावली** के नियम 33 से 46 का अनुपालन करेंगे।
2. वाहन के प्रोटोटाइप जिस प्रकार प्रमाणित किया गया है, निबंधन भी उसी प्रकार के वाहन का होगा ।
3. इसके साथ रोड वर्थीनेस प्रमाण पत्र मोटर वाहन नियमावली के नियम के अनुपालन के प्रतिवेदन / जाँच **प्रतिवेदन** / मार्ग निर्देशन वाहन डीलर द्वारा संलग्न किया जायेगा।
4. किसी भी परिस्थिति में किसी कम्पनी के नये **प्रोडक्ट** का निबंधन राज्य परिवहन आयुक्त का आदेश **निर्गत** होने की तिथि के पूर्व नहीं किया जायेगा। बिना आदेश के यदि निबंधन किया जाता है तो इसकी सम्पूर्ण **जबावदेही** आपकी होगी।
5. जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन विक्रेता के **पंजियों** की नियमित जाँच करते हुए बिहार मोटर **वाहन** करारोपण अधिनियम–1994 की धारा–6 के अधीन करों की **वसूली** सुनिश्चित करेंगें तथा ट्रेड टैक्स का अद्यतन **भुगतान** सुनिश्चित करेंगें।
6. जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन के निबंधन के **समय** यह सुनिश्चित करेंगे कि डीलर का ट्रेड प्रमाण **पत्र वैध** है एवं उनके द्वारा बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 (यथा संशोधित) की धारा–6 के अनुरूप **प्रत्येक वाहन** के ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान किया गया है।
7. बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा 6 सेड्यूल-III के अनुरूप प्रत्येक वाहन के **लिए निर्धारित** कर की दर से निबंधन के समय भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
8. संबंधित Model का बिक्री मूल्य कम्प्यूटर में दर्ज करेंगे।

विश्वासभाजन,
ह0 / –
उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : .... पटना, दिनांक : ....

प्रतिलिपिः– Authorised Signatory: For **Nanya Airconn Pvt.Ltd. 6/2, W.E.A. 1st Floor, Karolbagh, Delhi-110005** को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –
उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : ....6023 पटना, दिनांक : 5/10/16

प्रतिलिपि : State Informatic Officer, NIC, Patna को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि Vahan Software के Master Box में इस मॉडलों की प्रविष्टि कर दिया जाय / I.T. Manager, परिवहन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

5/10/16
उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना